***Regarding need to amend CRZ-2 Notification, 2019 to clear redevelopment of Jhuggi Jhopdi clusters in Coastal Regulation Zone in Mumbai-Laid**

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर **(मुम्बई उत्तर-पश्चिम) :** मैं केंद्र सरकार का ध्यान मुंबई के लाखों झोपड़ीधारकों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ।महाराष्ट्र सरकार मुंबई की झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास कर रही है,लेकिन जो झोपड़ियाँ 50 से60 वर्षों से समुद्र किनारे CRZ-2 क्षेत्र में हैं,उनका विकास रुका हुआ है ।उसी जगह पर स्थित पुरानी इमारतों को तो केंद्र सरकार की CRZ-2 अधिसूचना2019 के तहत संरक्षित इमारतें मानकर पुनर्विकास की अनुमति दी जाती है,लेकिन दशकों से बसे गरीब परिवारों की झोपड़ियों पर CRZ का नियम लागू कर उन्हें उनके हक़ के घर से वंचित रखा जाता है ।इससे स्थानीय निवासियों में भारी असंतोष है और महाराष्ट्र सरकार ने अपनी विकास नियमावली में बदलाव कर आरजी/पीजी जैसी जमीनों पर बसी झोपड़ियों को राहत दी है,लेकिन CRZ का विषय केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण वे इस मामले में असहाय हैं ।मेरा केंद्र सरकार के पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आग्रह है कि वे CRZ-2 अधिसूचना2019 में नीतिगत बदलाव करें ।जैसे पुरानी इमारतों को "संरक्षित" माना गया है,वैसे ही इन 50-60 साल पुरानी झोपड़ियों को भी संरक्षित झोपड़ियाँ का दर्जा दिया जाए । इस एक नीतिगत बदलाव से इन झोपड़ियों के पुनर्विकास का मार्ग खुल जाएगा ।मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय पर प्रभावी कदम उठाकर इन लाखों परिवारों को न्याय दिलाएंगे ।